पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश सं0:– 02/NG/2019/Rectt cell/SPJ

निम्नलिखित भूतपूर्व सैनिक जो संविदा के आधार पर गेटमैन(इंजीनियरिंग) के पद पर इंगेजमेंट हेतु योग्य पाये गये है एवं निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में उतीर्ण है तथा वमंई(समन्वय)/समस्तीपुर के पत्र सं0– डब्लू/ई/283/टीएम/डब्लू–06 दिनांकः– 20.06.2019 के द्वारा गेटमैन(इंजीनियरिंग) पद का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है, को संविदा के आधार पर गेटमैन(इंजीनियरिंग) पद पर उनके नाम के सामने अंकित गेट एवं सिसेई(रेलपथ) के अधीन पूर्णतः अस्थायी रूप से नीचे वर्णित शर्तो के अधीन इंगेज किया जाता है।
कर्मचारी का विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	नाम एवं पिता का नाम (सर्वश्री)	चिकित्सा फिट प्रमाण पत्र सं0 दिनांक एवं जन्म तिथि	इंगेजमेंट स्थल/ गेट सं0	फोटो
01	राम नरेश गुप्ता S/O– शुभालाल गुप्ता	Fit in Aye-3 with DV + NV Glasses प्रमाण पत्र सं0– 030315/1103 दिनांक– 02.01.19 DOB- 08.01.63	गेट सं0– RG/SKI अधीन SSE(P.Way)/ SKI in section SKI-JJP	

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर

1. संविदा मासिक पारिश्रमिक की दर निम्नानुसार होगी:
   A. मासिक पारिश्रमिक Monthly remuneration — रु. 23500
   B. रात्रि ड्यूटी भत्ता Night Duty Allowance — यथा स्वीकार्य As admissible

   टिप्पणी 1: संविदा के आधार पर इंगेज किये गए गेटमैन को रु. 5000 वार्षिक वर्दी भत्ता देय होगा. विनिर्दिष्ट संविदा इंगेजमेंट की अवधि में वर्दी भत्ता केवल एक बार देय होगा।

   टिप्पणी 2: उपरोक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को कोई अन्य राशि देय नहीं होगी।
2. किसी माह के खण्ड के लिए पारिश्रमिक की गणना आनुपातिक रूप से की जाएगी।
3. विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक के अतिरिक्त संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन रेलवे द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सुविधा/अनुलाभ यथा मुफ्त आवास, मुफ्त यात्रा पास, मुफ्त चिकित्सा सेवा इत्यादि हेतु पात्र नहीं होंगे. तथापि, रेलवे आवास उपलब्ध होने की दशा में संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को दिया जा सकता है. ऐसी दशा में लागू आवास किराये या पारिश्रमिक में मकान किराया भत्ता के रूप में सन्निहित रु.1800 की कटौती की जाएगी।
4. संविदा इंगेजमेंट की अवधि एक वर्ष कार्यभार ग्रहण की तिथि से अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा रे. भ. बोर्ड/रे. भ. सेल द्वारा चयन के माध्यम से या पदोन्नति/स्थानांतरण से पद भरे जाने तक अथवा रेलवे की आवश्यकता बनी रहने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।
5. संविदा इंगेजमेंट की अवधि एक वर्ष कार्यभार ग्रहण की तिथि से अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा रे. भ. बोर्ड/रे. भ. सेल द्वारा चयन के माध्यम से या पदोन्नति/स्थानांतरण से पद भरे जाने तक अथवा रेलवे की आवश्यकता बनी रहने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।
6. यह संविदा इंगेजमेंट अस्थायी है तथा आपको उपरोक्त समयावधि के अतिरिक्त अथवा नियमित कर्मचारी के रूप में बने रहने हेतु दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। आप नियमित रेल कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आयेंगे।
7. संविदा इंगेजमेंट की अवधि, कार्य के संतोष जनक पाये जाने पर परस्पर सहमति से, एक बार में एक वर्ष तक समान अथवा रेलवे के तत्कालीन नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत संशोधित नियम एवं शर्तों के अंतर्गत बढाई जा सकती है। तथापि वर्तमान इंगेजमेंट तथा अगले इंगेजमेंट के मध्य एक सप्ताह का विराम अंतराल दिया जाएगा।

विराम अंतराल को अलग-अलग समय पर करने के उद्देश्य से पुनः इंगेजमेंट करने के लिए, संविदा इंगेजमेंट को विनिर्दिष्ट समयावधि के पूर्व समाप्त किया जा सकता है।

8. संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन के कार्य के घंटे, रेलवे के कार्य के घंटा नियमों से शासित होंगे. "C" श्रेणी के समपार फाटकों पर 6 दिन प्रति सप्ताह का 12 घंटे प्रतिदिन का ड्यूटी रोस्टर लागू है। संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को रोस्टर के अनुसार दिन तथा रात्रि की शिफ्ट में कार्य करना होगा।

9. सामान्य परिस्थितियों में संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को रोस्टर के अनुसार कार्य करना होगा. तथापि, किसी आकस्मिक परिस्थिति में उसे रोस्टर कार्यक्रम के अतिरिक्त भी कार्य करना पड़ सकता है जिसके लिए नियमानुसार पूरक विश्राम दिया जा सकता है।

10. किसी भी दशा में, जबतक दूसरा गेटमैन / प्राधिकृत रेलवे कर्मचारी गेटमैन का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, संविदा के आधार पर इंगेज किया गया गेटमैन अपना कार्यस्थल नहीं छोड़ेगा। उचित कार्यभार हस्तांतरण के बिना कार्यस्थल छोड़ना गंभीर कदाचार माना जाएगा तथा संविदा इंगेजमेंट तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।

11. संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को एक वर्ष की संविदा अवधि में कुल 10 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इस अवधि के अतिरिक्त अनुपस्थिति हेतु मानदेय से आनुपातिक कटौती की जाएगी. तथापि, कार्य से किसी भी प्रकार की अनधिकृत अनुपस्थिति को कदाचार मानते हुए संविदा इंगेजमेंट समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में रेलवे के सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

12. संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को कार्य के दौरान गेटमैन के लिए निर्धारित वर्दी धारण करना होगा। वर्दी बनवाना संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन का दायित्व होगा तथा रेलवे द्वारा विनिर्दिष्ट वर्दी भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

13. संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को गेट खोलने तथा बंद करने के लिए समस्त संरक्षा नियमों / गेट संचालन नियमावली के नियमों का पालन करना होगा. प्रत्येक दशा में ट्रेनों तथा सड़क यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित की जानी है।

14. संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को अपने कार्य से सम्बंधित समस्त अभिलेखों का नियमानुसार अनुरक्षण करना होगा।

15. सामान्यतया संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को जिस सेक्शन में इंगेज किया गया है उसी में स्थित फाटकों पर नियुक्त किया जाएगा। तथापि, अपरिहार्य परिस्थितियों में उसे अन्य फाटकों पर भी कार्य करना पड़ सकता है जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान अथवा विश्राम अथवा कोई अन्य छूट देय नहीं होगी।

16. संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन द्वारा अपने व्यय पर एक मोबाइल फ़ोन अनवरत चालू अवस्था में रखा जाएगा. यह मोबाइल नंबर सेक्शन के इंचार्ज पर्यवेक्षक के पास उपलब्ध होना चाहिए. किसी आकस्मिक अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को किसी भी समय कार्य हेतु बुलाया जा सकता है।

17. किसी भी परिस्थिति में संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को कार्य के दौरान नशे की अवस्था में नहीं होना चाहिए। संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को कार्य के दौरान नशे की अवस्था में पाए जाने पर संविदा इंगेजमेंट तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा तथा जानबूझकर जनसामान्य / रेल प्रशासन के जीवन / संपत्ति को खतरे में डालने के लिए विधिक/प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

18. संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन द्वारा गेट उपकरणों / संरक्षा उपकरणों को कार्यकारी अवस्था में रखा जाएगा। अपनी कार्यावधि में उसके द्वारा सभी उपकरणों / रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी।

19. संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों तथा जनसामान्य के साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार करना होगा तथा किसी भी परिस्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा जो कि रेलवे के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता हो।

20. रेलवे अधिकारियों / कर्मचारियों के निरीक्षण के दौरान संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को सभी संभव सहयोग करना होगा तथा अपनी अभिरक्षा में उपलब्ध उपकरणों का प्रदर्शन करना होगा तथा पूछे जाने पर तत्परता से अपने संरक्षा सम्बन्धी ज्ञान का प्रदर्शन करना होगा और आवश्यकतानुसार विभिन्न परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली संरक्षा पद्धतियों को कार्यरूप देने का प्रदर्शन करना होगा।

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर

21. संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को अपना कार्यस्थल एवं आसपास का स्थान साफ़ सुथरा रखना होगा।
22. संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन को किसी राजनैतिक संगठन अथवा ट्रेड यूनियन से सम्बन्ध नहीं रखना होगा।
23. उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रावधानों को छोड़कर रेलवे प्रशासन अथवा संविदा के आधार पर इंगेज किए गए गेटमैन द्वारा, परस्पर सहमति से, 15 दिनों की नोटिस देकर संविदा इंगेजमेंट समाप्त किया जा सकता है। तथापि, संविदा इंगेजमेंट के नियम एवं शर्तों अथवा रेलवे के नियमों/निर्देशों/प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर संविदा इंगेजमेंट तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है।
24. उपरोक्त नियम एवं शर्तें अनंतिम हैं तथा इनमें रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(चन्द्र किशोर)
सकाधि–।।
कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) / समस्तीपुर

सं0– ई / 89 / भर्ती / एक्सएसएम / संविदा / गेटमैन / सम0 / 19 दिनांक 25.06.2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महाप्रबंधक(कार्मिक) / हाजीपुर
2. वमई(समन्वय / समस्तीपुर
3. समई / दरभंगा–।। :– संविदा इंगेजमेंट से पुर्व करारनामा हेतु निर्धारित / संलग्न प्रपत्र के अनुरूप 20रू0 के गैर न्यायिक(नन–ज्युडिशियल) स्टाम्प पेपर तैयार कराकर उसे इनके संबंधित फोल्डर में अनुरक्षित करेगे तथा संबंधित इंगेज भुतपुर्व सैनिकों के हस्ताक्षर एवं LTI का मिलान उनके फोल्डर में उपलब्ध हस्ताक्षर एवं LTI से करेगे।
4. मुकार्याधी / इंजीनियरिंग संवर्ग
5. मुकार्याधी / बिल अनुभाग
6. सिसेई / सकरी
7. कार्याधी / एमपीपीः– वे इस कार्यालय आदेश को Website पर upload करने की व्यवस्था करेंगे।
8. संबंधित कर्मचारीगण– वे कृपया अपने नाम के सामने उल्लेखित गेट पर तैनाती हेतु संबंधित सहायक मंडल अभियंता / दरभंगा–।। के यहाँ रिपोर्ट करेगे।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) / समस्तीपुर